उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर ::

//आदेश//

क्रमांक B/5051/ जबलपुर, दिनांक 21/जुलाई/2023

प्रति,

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(समस्त) (म.प्र.)।

2. प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
(समस्त) (म.प्र.)।

3. अध्यक्ष,
जिला उपभोक्ता फोरम,
(समस्त) (म.प्र.)।

4. सचिव,
म.प्र., राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जबलपुर (म.प्र.)।

विषय : न्यायिक अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण नियम, 2022 के अंतर्गत अवशेष राशि में से एन.पी.एस. कटौत्रा किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किए जाने बाबत्।

संदर्भ : मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना फा.क्र. 482/21 ब (एक)/2023, दि 03.02.2023।

000

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है म.प्र. राज्य की विभिन्न न्यायिक पदस्थापनाओं द्वारा संदर्भित अधिसूचना के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों को देय एरियर्स राशि में से एन.पी.एस. कटौत्रा किया जाना है अथवा नहीं, के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त संबंध में लेख है कि आपकी पदस्थापना में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को वेतन पुनरीक्षण नियम, 2022 के अनुक्रम में देय एरियर्स राशि में से एनपीएस राशि का कटौत्रा म.प्र. शासन, वित्त विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ/9 3/2017/नियम/वार, दिनांक 17.02.2017 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में कर, एरियर्स राशि का भुगतान किया जावे एवं भुगतान के पश्चात् कटौत्रा किए गए अंशदान पर नियमानुसार शासकीय अंशदान, संबंधित अभिदाता के प्रान खाता में जमा किए जाने हेतु वित्त विभाग को लेख किया जावे।

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांकः एफ 9-3/2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक17फरवरी, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- 1.1.2005 के बाद नियुक्त मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना अंतर्गत दिये गये एरियर्स राशि का 10% प्रान खाते में जमा करने बाबत ।

—•—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए दिनांक 01.01.2005 से लागू परिभाषित पेंशन योजना प्रणाली में अभिदाता तथा नियोक्ता के अंशदान जमा होते हैं ।

2/ राज्य शासन द्वारा विगत तिथि से वेतन मंहगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने पर देय एरियर राशि पर अंशदान कटोत्रा नहीं होना ध्यान में लाया गया है।

3/ अतः भारत सरकार की भांति राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि परिभाषित पेंशन योजना के अभिदाताओं को उपर्युक्त अनुसार देय एरियर्स राशि में से निर्धारित अंशदान का कटोत्रा किया जाकर अभिदाता के संबंधित खाते में जमा किया जाये ।

4/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग